

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-187) अलेसे-1/269

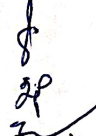
दिनांक:- 04-06-2025

आदेश

श्री हरकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनक नं0-4425) कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, दौसा के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन/प्रस्तावित है ।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री मीणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । श्री मीणा का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषाधिकारी कोष कार्यालय, कोटा रहेगा ।

श्री हरकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।



(बृजेश किशोर शर्मा)

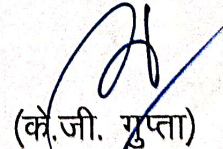
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (H-187) अलेसे-1/269

दिनांक:- 04-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, दौसा ।
3. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, कोटा ।
4. श्री हरकेश मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, दौसा ।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु ।
6. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय ।
7. जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट ।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली ।



(कै.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)